न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –101/2019 (Bank Case)

यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी, (बेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस. कोटा, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री अवनीश मीणा पुत्र श्री छितरलाल मीणा
   पताः– मीणा टेलीकॉम सेन्टर, बस स्टैण्ड, नयापुरा, कोटा राजस्थान ।
2. श्रीमति मंजू मीणा पत्नि श्री अवनीश मीणा
   पता– सर्वे नं. 073/892 बापू नगर, (कच्ची बस्ती) कोटा राज.
3. मैसर्स श्री गणेश इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स जरिये प्रोपराइटर श्री अवनीश मीणा पुत्र श्री छितरलाल मीणा
   पताः– मीणा टेलीकॉम सेन्टर, बस स्टैण्ड, नयापुरा, कोटा राज.
4. श्रीमति मंजू मीणा पत्नि श्री अवनीश मोणा
   पता– सर्वे नं. 073/892 बापू नगर, (कच्ची बस्ती) कोटा राज.

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै. म. सरणी, (बेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है जिसका एक शाखा कार्यालय–एम.बी.एस. कोटा, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.05.2014 को केश केडिट रूपये 15,00,000/– (अक्षरेः पन्द्रह लाख, मात्र) , दिनांक 23.5.2014 को टर्म लोन रूपये 15,00,000/–(अक्षरेः रूपये पन्द्रह लाख मात्र) व दिनांक 26.5.2014 को कार ऋण रूपये 12,00,000/– (अक्षरेः रूपये बारह लाख मात्र) कुल ऋण राशि–42,00,000/– (अक्षरेः रूपये बयांलिस लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री अवनीश कुमार मीणा पुत्र श्री छितर लाल मीणा व श्रीमति मंजू कुमार मीणा पत्नि श्री अवनीश मीणा की आवासीय सम्पत्ति जो सर्वे नं. 073/892 बापू नगर (कच्ची बस्ती) कोटा राजस्थान में स्थित है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 984.75 वर्गफीट है । जिसका पट्टा नगर**

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/ नियमन–आवंटन/ 2014/ 1207 दिनांक 4.3.2014 से जारीसुदा है, जिसका विलेख संख्या 2014005048 दिनांक 23.4.2014 बुक नं. 1, जिल्द नं. 1260, पेज नं. 157 पर उप पंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूरब में– छीतरलाल का घर, पश्चिम में– रामचन्द्र का घर, उत्तर में– सड़क, दक्षिण में– युसूफ का घर है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.05.2019 व 30.4.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 16,35,523.41 (अक्षरे रूपये सौलह लाख, पैंतीस हजार, पांच सौ तैबीस रूपये इकतालिस पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 26.04.2019 तक खाता अवनीश मीणा व मंजू मीणा में व रूपये 14,77,956/– रूपये दिनांक 30.4.2019 तक खाता श्री गणेश इलेक्ट्रीकल्स वर्क्स में इस प्रकार कुल बकाया राशि 31,13,479.41 (अक्षरेः इक्कतीस लाख, तैरह हजार, चार सौ, उन्हांसी रूपये इकतालिस पैसे मात्र) शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 23.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 23.05.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गयें, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री अवनीश कुमार मीणा पुत्र श्री छितर लाल मीणा व श्रीमति मंजू कुमार मीणा पत्नि श्री अवनीश मीणा की आवासीय सम्पत्ति जो सर्वे नं. 073/892 बापू नगर (कच्ची बस्ती) कोटा राजस्थान में स्थित है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 984.75 वर्गफीट है । जिसका पट्टा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कमांक/ नियमन–आवंटन/ 2014/ 1207 दिनांक 4.3.2014**

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

से जारीसुदा है, जिसका विलेख संख्या 2014005048 दिनांक 23.4.2014 बुक नं. 1, जिल्द नं. 1260, पेज नं. 157 पर उप पंजीयक कोटा के यहां पंजीकृत है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– पूरब में– छीतरलाल का घर, पश्चिम में– रामचन्द्र का घर, उत्तर में– सड़क, दक्षिण में– युसूफ का घर है । का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner